	हुकम या कार्यावाही मय इतिशिंयल्स जज
2.21	पत्रावली पेश। बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली दिनांक 22/2/2021 को पेश हो।
22/2/2021	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त/अवकाश/मुख्यालय से बाहर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 23/2/2021 को पेश हो।
~~22/2/2021~~	~~पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त/अवकाश/मुख्यालय से बाहर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।~~
23.02.2021	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा. पत्र: 07 R11 के दिनांक 24.02.2021 को पेश हो।
24.02.2021	पत्रावली पेश। वकील अप्रार्थी उपस्थित। वादी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी कानून, 1955, इस आशय का पेश किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से जो कृषि भूमि है, वह भूमि वादी के दादा की संपति अर्थात पैतृक संपति का बेचान कर उससे खरीदी गई है। वादी, प्रतिवादी सं. 1 का गोद पुत्र है। अतः गोद पुत्र होने के नाते एवं पैतृक संपत्ति होने के कारण वादी का प्रतिवादी सं. 1 की कृषि भूमि में हक-हिस्सा बनता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी का हक घोषित किया जाकर खाता-विभाजन हो एवं प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध स्थाई व्यादेश पारित हो। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से एक प्रा. पत्र अंतर्गत 07 R11 व 151 CPC, वाद निरस्ती हेतु पेश किया गया।
	पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के मंथन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कृषि भूमि पर अधिकारों की घोषणा, खाता विभाजन, स्थाई व्यादेश आदि अनुतोष एनसीलरी एवं सैकण्डरी है।

Scanned with CamScanner

हुकम या कार्यावाही मय इतिशिंयल्स जज

जब तक वादी द्वारा सक्षम न्यायालय से दत्तक पुत्र संबंधी प्रश्न घोषित नहीं करवाया जाता, तब तक वादी के पास वाद-हेतुक ही उत्पन्न नहीं होता। माननीय उच्च न्यायालय ने 1985 RRD पेज 91 के विनिश्चय में अभिनिर्धारित किया है, जहाँ अनुतोष गोद घोषणा से जुड़े हों, वहाँ अत घोषणा कराये बिना अन्य अनुतोष प्रदत्त नहीं किये जा सकते एवं गोद पुत्र की घोषणा किये जाने का प्रश्न सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय है ना कि राजस्व न्यायालय द्वारा।

अतः प्रतिवादी सं. 1 का प्रा. पत्र अंतर्गत O7R11 व 151 CPC स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद-पत्र वाद हेतुक के अभाव में खारिज किया जाता है। गोद पुत्र का प्रश्न सक्षम न्यायालय से घोषित होने के उपरांत वादी पुनः वाद पत्र लाने का अधिकारी रहेगा। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

...ख ...हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इतिशिंयल्स जज	...रीख अहकाम ... हुक्म की तामिल में जारी हुए।
23.02.2021	पत्रावली पेश। वकील उत्तरपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा. पत्र 07 R11 व 151 CPC के दिनांक 24.02.2021 को पेश हो।	
24.02.2021	पत्रावली पेश। वकील अप्रार्थी उपस्थित। चूँकि प्रा. पत्र के साथ संलग्न मूल वाद ही खारिज किया जा चुका है। अतः प्रा. पत्र का औचित्य ही समाप्त हो चुका है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उप जिला कलैक्टर श्री विजयनगर	

Scanned with CamScanner